प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा देहात थाना :– प्र.आ.केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023 प्र0सू0रि0 सं0 57/2023 दिनांक 6/3/2023

2. (1) अधिनियम– पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 धाराऐं–7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018

(2) अधिनियम– धाराऐं –

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :– रविवार दिनांक– 05.03.2023

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 01.03.2023 समय :– 11:30 ए.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 101 समय 7:00 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी–ए.सी.बी. कोटा देहात से करीब 01 कि.मी. बजानिब दक्षिण–पश्चिम

बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख) पता:– पुलिस थाना दादाबाडी, जिला कोटा शहर

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्री योगेश कुमार शर्मा

(ख) पिता का नाम :– श्री गणेश शंकर तिवारी

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 44 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– मकान नं. ई–637, कन्सुआ आवासीय योजना, थाना उद्योगनगर कोटा

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) श्री शैलेष कुमार सिंघल पुत्र श्री बाबूलाल जाति अग्रवाल उम्र 54 साल निवासी मकान नं. 596, दादाबाडी विस्तार योजना मोदी कॉलेज के सामने हाल एक्जक्यूटिव इंजिनियर, छबडा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा छबडा, जिला बारां

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –2000रूपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2023 को समय 11:30 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गणेश शंकर तिवारी जाति ब्राहम्ण उम्र 44 साल निवासी मकान नं. ई–637, कन्सुआ आवासीय योजना, थाना उद्योगनगर कोटा शहर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस

आशय का पेश किया कि " मैं योगेश कुमार शर्मा, कंसुआ कोटा का निवासी हूं। मैं वर्ष 2017 से ठेकादारी का कार्य छबडा थर्मल प्लांट में कर रहा हूं। मेरे फर्म का नाम योगेश इन्टरप्राईजेज है तथा मैं इलेक्ट्रिकल्स आईटम के स्पेयर्स पार्ट व अन्य सामान सप्लाई का कार्य करता हूं। मैने वर्ष 2021 से अब तक कुल छः(06) कार्य किये है, जिनमें से 05 कार्यों के बिल पास कर दिये तथा 01 बिल शेष है। श्री शैलेष कुमार एक्सईएन व श्री मनोज कुमार ए.ईएन. मेरे पूर्व के 05 बिल व नये बिल कुल 06 बिलों के 1 परसेंट के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे है। मेरे टोटल बिल 528,451 के बनते है। मैं मेरे जायज काम के बदले इन लोगों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा इनके पुराना कोई लेनदेन नहीं है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। एस.डी. योगेश कुमार शर्मा। श्रीमान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व बताया कि श्री शैलेष कुमार एक्सईएन साहब व श्री मनोज कुमार जी एईएन साहब मुझसे छबडा थर्मल पावर प्लांट में उनके ऑफिस में ही बात करते है तथा वह छबडा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में ही रहते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि छबडा के लिए सुबह ट्रेन जाती है, अभी कोई ट्रेन नहीं है, बस से जाने में शाम हो जायेगी। मैं कल सुबह छबडा जाऊंगा। इस समय कार्यालय में उपस्थित श्री नरेश यादव कानि. को तलब कर परिवादी का परिचय करवाया गया। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को चलाने व बंद करने की समझाईश की गई। श्री नरेश कानि. को हिदायत दी कि कल सुबह डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु जावे। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्ड वापस मालखाना में रखा गया। दिनांक 02.03.2023 समय 06:00 ए.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर मैमोरी कार्ड लगाया गया। श्री नरेश कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड ऑपरेट कराना समझावे, व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी के साथ थर्मल पावर प्लांट, छबडा पहुँचकर रिश्वत मांग का सत्यापन की निगरानी करने की आवश्यक हिदायत कर श्री नरेश कानि. को रवाना किया गया। समय 07:45 पी.एम. श्री नरेश कानि. 144 मय परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी मुझे कोटा स्टेशन पर ही मिल गये थे। जहॉ से मैं व परिवादी थर्मल पावर प्लाट छबडा गये। थर्मल पावर प्लांट से कुछ दुरी पहले ही मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी के सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करना समझा दिया था। इसके बाद परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर थर्मल पावर प्लाट छबडा के अंदर चला गया था। थोडी देर बाद परिवादी बाहर आया। इस पर परिवादी से सत्यापन बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैंने एक्सईएन साहब के ऑफिस के बाहर पहुँचकर एकांत में रिकॉर्डर चालू कर अंदर चला गया था, जहॉ मुझे श्री मनोज कुमार एईएन साहब व श्री शैलेष कुमार एक्सईन साहब मिल गये थे। श्री मनोज कुमार एईएन साहब ने मेरे बिलों को चैक कर जीएसटी काटकर साढे चार लाख के बिल होना बताया और दोनों ने एक परसेंट कमीशन के हिसाब से साढे चार हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी तथा मुझसे ढाई हजार रूपये श्री शैलेष कुमार एक्सईएन साहब ने मौके पर ही ले लिये और शेष दो हजार रूपये रविवार को कोटा में देने के लिए कहा है। मैने सारी बातें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। वहां से बाहर आकर मैने रिकॉर्डर बंद कर लिया था व बाहर आकर नरेश जी को दे दिया था। इस पर श्री नरेश कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि हुई। रिकॉर्ड वार्तानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे कल आवश्यक कार्य है, मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा मैं रविवार के दिन उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 2000रूपये लेकर रविवार को सुबह 7:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु व गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 03.03.2023 समय 04:00 पी. एम. पर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 05.03.2023 रविवार को होने व आगामी कार्यदिवसों में राजकीय अवकाश होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु बतौर स्वतंत्र गवाह दो सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होने से कार्यालय के श्री असलम खान हैड कानि. 124 को एक तहरीर सचिव नगर विकास न्यास कोटा के नाम जारी कर अपने साथ दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी लेकर आने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05:30 पी.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 नगर विकास न्यास

कोटा से अपने साथ श्री सोनू गुर्जर कनिष्ठ सहायक को लेकर उपस्थित कार्यालय आया व बताया यूआईटी कोटा से दो पत्र जारी किये है जिनमें एक गवाह श्री सोनू गुर्जर उपस्थित है तथा दूसरे श्री पवन कुमार कनिष्ठ अभियंता थोडी देर बाद उपस्थित हो जायेगें। समय 06:20 पी. एम. पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार कनिष्ठ अभियंता, नगर विकास न्यास कोटा से उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोंनो गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनों गवाहान को दिनांक 05.03.2023 को समय 07:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर पाबंद कर रूखसत किया गया। दिनांक 05.03.2023 समय 07:20 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा अपनी मोटरसाईकिल से व पाबंदशुदा गवाहान श्री पवन कुमार कनिष्ठ अभियंता व श्री सोनू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री योगेश शर्मा का उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया जिस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ने मन् श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा व स्वतंत्र गवाहान का परिचय करवाया तथा ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। समय 07:30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा, मय ट्रेप पत्रावली, मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर अपने कक्ष में आया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि दिनांक 02.03. 2023 को मैं छबडा थर्मल पावर प्लांट में एक्सईएन साहब व एईएन साहब से इनके ऑफिस में मिला तो दोनों ने मिलकर मेरे बिलो का हिसाब लगाया था, तथा हिसाब लगाने के बाद मुझसे से ही जीएसटी हटाकर टोटल करवाया था। टोटल बिल साढे चार लाख रूपये के हुये थे।शैलेष जी ने मुझे साढे चार हजार रूपये के लिए कहा था, फिर मनोज जी एईएन साहब के कमरे से बाहर जाने के बाद शैलेष जी एक्सईएन साहब ने मुझसे 2500रूपये लिये और बाकी 2000रूपये कोटा में देने के लिए कहा था। इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरकारी लैपटॉप पर चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की तो दोनों ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान करते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 07:45 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा, आरोपी श्री शैलेष कुमार एक्सईएन तथा आरोपी मनोज कुमार, ए.ईएन, के मध्य छबडा थर्मल पावर प्लांट पर उनके कार्यालय में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी, को श्री पवन कुमार कानि. 272 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा स्वयं, शैलेष कुमार एक्सईएन व मनोज कुमार एईएन की आवाज की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10:02 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादी के मोबाईल नंम्बर 9660624859 से आरोपी श्री शैलेष कुमार, एक्सईएन के मोबाईल नं. 9413349506 पर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री शैलेष कुमार एक्सईन ने परिवादी को मोदी कॉलेज के पास अपने घर के सामने बुलाया है। मोबाईल पर हुई वार्ता को मोबाईल फोन का स्पीकर ऑनकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 10:05 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 4 नोट कुल 2000रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4BK 456383
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4BK 456387
3	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2FT 790401
4	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5FU 156635

श्री विशेष कुमार कानि. 585 के द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एवं एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। गवाह श्री सोनू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने

हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री विशेष कुमार कानि. 585 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की दांयी जेब में रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स में रखें कांच के एक गिलास में साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विशेष कुमार कानि.585 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर इशारा करे। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने में प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री विशेष कुमार कानि. 585 के दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विशेष कुमार कानि. 585 से वापस मालखाने मे रखवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थ्लीन पाउडर पृथक से मुर्तिब की गई। 10:50 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा को अपनी मोटरसाईकिल से आरोपी के बताये स्थान मोदी कॉलेज के सामने रवाना किया परिवादी के पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से श्री असलम खान हैड कानि., व श्री नरेश कानि. 144 को रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी जाब्ता, श्री गिरिराज कानि.387 श्री पवन कुमार कानि. 272, व श्रीमती कीर्ति महिला कानि. सरकारी वाहन बोलेरो मय, लेपटोप प्रिन्टर एंव ट्रेप कार्यवाही सामग्री के कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 10:55 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी के पीछे पीछे मोदी कॉलेज से थोड़ा सा आगे एक पार्क के पास पहुँचा, जहॉ परिवादी व श्री असलम खान हैड कानि. व श्री नरेश कानि. उपस्थित मिले। समय 10:59 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी शैलेष कुमार के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई तो परिवादी ने आरोपी शैलेष कुमार को बताया कि मैं मोदी कॉलेज के पास आ गया हूं, इस पर आरोपी ने अपने मकान का पता बताया। उक्त वार्ता को मोबाईल फोन का स्पीकर ऑनकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तानुसार आरोपी ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर अपने घर पर बुलाया है, अतः परिवादी को स्वयं की मोटरसाईकिल से बी.ए. सिंघल लिखे हुये मकान की तरफ रवाना किया, श्री असलम खान हैड कानि. व श्री नरेश कानि. को मोदी कॉलेज के गेट के सामने स्थित लवकुश टी एण्ड कॉफी स्टॉल पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा किया, तथा मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता सरकारी वाहन में बसन्त विहार जाने वाले मेन रोड पर खडी थार जीप के पीछे दूध डेयरी के सामने सरकारी वाहन खडा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगा। समय 11:03 ए.एम. परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गणेश शंकर तिवारी,जाति ब्राहम्ण, उम्र 44 साल निवासी मकान नं. ई–637, कन्सुआ आवासीय योजना, थाना उद्योगनगर कोटा ने आरोपी के रिहायशी आवास मकान नं. 596, दादाबाडी विस्तार योजना मोदी कॉलेज के सामने से आरोपी के साथ खडे–खडे ने अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी ने पास खडे जिंस की पेंट व टी–शर्ट पहने अधेड व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन साहब है, इन्होनें मुझसे अभी अभी 2000रूपये अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जिंस पेंट की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया तो वह अत्यंत घबराने लगा। मन पुलिस निरीक्षक ने शैलेष कुमार सिंघल को तसल्ली देकर नाम

पते पूछे तो व्यक्ति ने अपना नाम शैलेष कुमार सिंघल पुत्र श्री बाबूलाल जाति अग्रवाल उम्र 54 साल निवासी मकान नं. 596, दादाबाडी विस्तार योजना मोदी कॉलेज के सामने हाल एक्जक्यूटिव इंजिनियर, छबडा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा छबडा, जिला बारां होना बताया, चूंकि घटनास्थल मोदी कॉलेज के सामने, आरोपी के आवास के बाहर आम रोड पर है। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिससे ट्रेप कार्यवाही में व्यवधान होने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी का दांया हाथ श्री असलम खान हैड कानि. व बायां हाथ श्री नरेश कुमार कानि. से कलाई के ऊपर से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन में बीच की सीट पर बैठाकर पुलिस थाना दादाबाडी, जिला कोटा शहर मय परिवादी मय दोंनो स्वतत्र गवाहान के रवाना हुआ। एसीबी जाब्ता को साथ लाये वाहनों को लेकर थाना दादाबाडी पहुॅचने के निर्देश दिये। मन पुलिस निरीक्षक थोडी देर बाद मय आरोपी मय हमराहीयान थाना दादाबाडी पहुॅचा। जहॉ पर श्री शिवराज हैड कानि. नं. 226 उपस्थित मिले, जिन्हे मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध कराने व अग्रिम कार्यवाही करने व थानाधिकारी श्री राजेश पाठक के मोबाईल नम्बर 8005579229 पर वार्ता कर ट्रेप कार्यवाही करने हेतु कक्ष उपलब्ध कराने की मौखित स्वीकृति प्राप्त की गई, जिस पर उन्होनें द्वितीय थानाधिकारी कक्ष उपलब्ध कराया। इस पर सरकारी वाहन से आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल को यथास्थिति उतारा जाकर उपलब्ध करवाये गये द्वितीय थानाधिकारी कक्ष में पहुॅचा। जहॉ मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल से पूछा कि आपने अभी परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा से 2000रूपये किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी ने बताया कि मैने योगेश से 2000रूपये नही लिये। दो तीन दिन पहले श्री योगेश कुमार शर्मा मेरे पास छबडा थर्मल पावर प्लांट में आये थे, ये सप्लाई व बिल दोनों लेकर आये थे। जहॉ इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। श्री योगेश शर्मा के कागज वगैराह कम होने से इन्होने मुझे कोटा में देने के लिए कहा था। आज सुबह मेरे पास इनका फोन आया, इन्होने मेरे मकान का एड्रेस लिया, मोदी कॉलेज के सामने आकर इन्होनें दुबारा कॉल किया, इनको मकान की लोकेशन नहीं मिलने पर मैं बाहर रिसिव करने आ गया, फिर मैं इनको अंदर बैठाने के लिए ले जा रहा था, गेट से जैसे ही अंदर जाते समय मेरी पेंट की जेब में जबरदस्ती पैसे डाल दिये मुझे नहीं पता कितने पैसे थे। इसके बाद आप लोगों ने मुझे पकड लिया। इस पर परिवादी ने आरोपी शैलेष कुमार सिंघल, अधिशासी अभियंता, की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैने छबडा थर्मल पावर प्लांट में 06 कार्य किये है। जिनमें से 05 कार्यों के बिल इन्होनें पास कर दिये तथा मेरे नये बिल को रोक लिया। मैं जब इनसे मिला तो इन्होनें व मनोज कुमार जी ने मुझसे मेरे पूर्व में पास किये गये 05 बिलों व नये बिल के कुल एक प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। मैं दिनांक 02.03.2023 को इनके पास आया तो इन्होनें व मनोज कुमार, ए.ईएन साहब ने मेरे 1–ऑर्डर नं. 1662 दिनांक 13.12.2021 के 233,498रूपये, 2–ऑर्डर नं.1947 दिनांक 12.01.2022 के 84960रूपये, 3–ऑर्डर नं. 2157 दिनांक 02.02.2022 के 59000रूपये, 4–ऑर्डर नं. 2115 दिनांक 29.01.2022 के 42244रूपये, 5–ऑर्डर नं. 1174 दिनांक 13.07.2022 के 22656रूपये व 6– ऑर्डर नं. 861 दिनांक 16.12.2022 के 86092रूपये कुल 528,450रूपये का हिसाब कर उसमें से अठारह परसेंट जीएसटी 95121रूपये काटकर कुल 433,329रूपये के एक प्रतिशत के हिसाब से 4500रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, जिसमें से इन्होने 2500रूपये इनके ऑफिस में ही ले लिये थे तथा 2000रूपये कोटा देने के लिए कहा था। आज मैने इनको फोन किया तो इन्होनें मुझे घर बुलाया और मुझसे 2000रूपये लेकर अपनी पहनी हुई जिंस पेंट की जेब में रख लिये है, उसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया था। इस पर आरोपी से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की तो आरोपी अपने पूर्व में बताये गये कथनों को ही दोहराता है। आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल से रिश्वती राशि में श्री मनोज कुमार एईएन का हिस्सा होने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल ने कहा कि मैने परिवादी से कोई रिश्वती राशि ली ही नही है तो किसी का हिस्सा होने का कोई सवाल ही नही है। मन पुलिस निरीक्षक को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की युक्तियुक्त आशंका होने से थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी लिया जाकर दो अलग अलग कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। कांच के दोनों गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त में से एक कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग मटमैला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क आर.एच–1, आर.एच–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे

को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क एल. एच.–1, एल.एच.–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी शैलेष कुमार सिंघल द्वारा परिवादी ने जबरदस्ती उसकी जेब में पैसे रखना बताने पर आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार, कनिष्ठ अभियंता से लिवाई गई, तो आरोपी की पहनी हुई नीले रंग की जिंस पेंट की सामने की दांई जेब से एक मोबाईल फोन व बांयी जेब से 500–500 रूपये के चार नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री सोनू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक से गिनवाया तो स्वतंत्र गवाह ने नोटों को गिनकर 2000रूपये होना बताया। इस पर नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान को फर्द पेशकशी नोट देकर करवाया गया तो हुबहू वहीं नोट होना पाया जाने पर रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है:–

1	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4BK456383
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4BK456387
3	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2FT790401
4	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5FU156635

उक्त रिश्वत राशि के नोटों को एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई नीले रंग की जिंस पेंट की सामने की बांयी जेब से बरामद हुई है अतः पेंट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। इस पर कांच के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल को पहनने हेतु दुसरी पेंट मंगवाने के लिए कहा तो आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल ने कहा कि मैने पेंट के नीचे पजामा पहन रखा है दूसरी पेंट की आवश्यकता नही है। इस पर आरोपी द्वारा पहनी हुई जींस की पेन्ट को उतरवाया जाकर उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी शैलेष कुमार सिंघल की उतरवाई जिंस पेंट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर डूबोकर धुलवाया तो गिलास के घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त जींस की पेंट को सुखाकर रिश्वत राशि रखी गई जेब पर आरोपी शैलेष कुमार सिंघल, अधिशाषी अभियंता, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर चिट माल चस्पा कर मार्क "पी" दिया गया। आरोपी की लोकेशन जानने हेतु करवाई गई मोबाईल वार्ता व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, को परिवादी, रूबरू गवाहान व आरोपी के सामने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होती है।

आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन पर परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा की वार्ता हुई है, आरोपी के फोन का पैटर्न लॉक Z खुलवाकर चलाकर देखा गया तो मोबाईल फोन के वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। अतः आरोपी के एण्डराईड मोबाईल फोन सैमसंग गेलेक्सी एम 32, मॉडल नं. एसएम–एम325एफ/डीएस, जिसके आईएमईआई नं. 357674430788779 व 357915400788772 है, जिसमें एक सिम नम्बर 9413349506 एयरटेल कंपनी की लगी हुई है, को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शैलेष कुमार सिंघल से परिवादी श्री योगेश कुमार के पेण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज चाहने पर आरोपी ने बताया कि मेरे थर्मल पावर प्लांट छबडा परिसर स्थित एक्सईएन स्टोर में है, जिन्हें मैं अभी उपलब्ध नहीं करवा सकता हूं। इस पर उप मुख्य अभियंता, छबडा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा, छबडा जिला बारां को पृथक से पत्र जारी कर परिवादी के पेण्डिंग वर्क से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया जावेगा। परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल एक्सईएन व श्री मनोज कुमार एईएन द्वारा रिश्वत की मांग करना अंकित किया है तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में भी उक्त दोनो श्री शैलेष कुमार सिंघल एक्सईएन व श्री मनोज कुमार एईएन से वार्ता हुई है, आरोपी श्री मनोज कुमार एईएन छबडा सुपर थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा, छबडा, जिला बारां की भूमिका संदिग्ध है, श्री मनोज कुमार एईएन की स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री शैलेष कुमार सिंघल, अधिशाषी अभियंता, छबडा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा, छबडा जिला बारां ने परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा के पूर्व में पास किये

गये बिलों व एक नये बिल को पास करने की एवज में कुल 06 बिलों के एक प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करना, 2500रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि की मांग अनुसार 2000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांई जेब से बरामद होना व आरोपी के बांये हाथ व पहनी हुई पेंट के धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी व गहरा गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04:20 पी.एम.पर आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल, को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर लिखित में अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देने बाबत् जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 04:25 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार व आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन, के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की समय 04:45 पी.एम.पर परिवादी श्री योगेश कुमार व आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन, के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तथा समय 05:05 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेश कुमार व आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन, के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.40 पी.एम. पर आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल पुत्र श्री बाबूलाल जाति अग्रवाल उम्र 54 साल निवासी मकान नं. 596, दादाबाडी विस्तार योजना मोती कॉलेज के सामने हाल एक्जक्यूटिव इंजिनियर, छबडा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा छबडा, जिला बारां को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित उसके पिता श्री बाबूलाल सिंघल को दी गई। समय 05.51 पी.एम. पर दिनांक 02.03.2023 को परिवादी श्री योगेश कुमार व आरोपी शैलेष कुमार सिंघल, एक्सईएन व श्री मनोज कुमार एईएन के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 05.03.2023 को परिवादी श्री योगेश कुमार व आरोपी शैलेष कुमार सिंघल के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं व रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, को कार्यालय के लेपटोप से पॉच पेनड्राईव में कॉपी करवाया गया। एक पेनड्राईव को वजह सबूत न्यायालय के लिए, दो पेनड्राईव आरोपी के लिए एंव एक पेनड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगाये गये मैमौरी कार्ड sandisk 16 GB को बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड को कब्जे एसीबी लिया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा के वास्ते निरीक्षण घटनास्थल आरोपी के मकान के गेट के सामने, दादाबाडी परिवादी की मोटरसाईकिल व साथ लाये सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल को जाब्ते की निगरानी में छोडा गया। समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 08:00 पी.एम. पर कार्यालय हाजा पर हवालात नहीं होने से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से हवालात में रखने हेतु थानाधिकारी थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर के नाम तहरीर जारी कर आरोपी को थाने की हवालात में दाखिल कराया गया। समय 08:37 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय जब्तशुदा आर्टीकल्स मय ट्रेप पार्टी थाना दादाबाडी, जिला कोटा शहर से रवाना हुआ। इस आशय की रपट थाना दादाबाडी, जिला कोटा के रोजनामचा आम में दर्ज करवाई गई। परिवादी को बाद ट्रेप कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। समय 08:50 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी के सदस्यों, मय जप्तशुदा आर्टिकल्स रवानाशुदा कार्यालय में उपस्थित आया। जप्तशुदा रिश्वत राशि 20,00रू का लिफाफा, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच. –1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2, पी–1, पी.–2 व पैकिट मार्क "पी" व जप्तशुदा मोबाईल फोन, जब्तशुदा पेनड्राईव व मैमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को कार्यवाही पूर्ण होने से रूकसत किया गया। परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल एक्सईएन व श्री मनोज कुमार एईएन द्वारा रिश्वत की मांग करना अंकित किया है तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में भी उक्त दोनों श्री शैलेष कुमार सिंघल एक्सईएन व श्री मनोज कुमार एईएन से वार्ता हुई है, परन्तु श्री मनोज कुमार द्वारा स्वयं के लिए कोई राशि की मांग नहीं की गई है, न ही प्राप्त की

गई है। आरोपी श्री मनोज कुमार एईएन छबडा सुपर थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा, छबडा, जिला बारां की भूमिका संदिग्ध है, श्री मनोज कुमार एईएन की स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल पुत्र श्री बाबूलाल जाति अग्रवाल उम्र 54 साल निवासी मकान नं. 596, दादाबाडी विस्तार योजना मोदी कॉलेज के सामने हाल एक्जक्यूटिव इंजिनियर, छबडा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा छबडा, जिला बारां ने परिवादी श्री योगेश कुमार शर्मा के पूर्व में पास किये गये बिलों व एक नये बिल को पास करने की एवज में कुल 06 बिलों के एक प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करना, 2500रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि की मांग अनुसार 2000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांई जेब से बरामद होना व आरोपी के बांये हाथ व पहनी हुई पेंट के धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी व गहरा गुलाबी प्राप्त होने इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से श्री शैलेष कुमार सिंघल, अधिशाषी अभियंता, छबडा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबडा जिला बारां के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(पृथ्वीराज मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शैलेष कुमार सिंघल, अधिशाषी अभियंता, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा छबड़ा, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 57/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:-454-57 दिनांक 06.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. चीफ पर्सनल ऑफिसर, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि.-मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

6.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।